कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 (05962) 230397 Fax 230397

पत्रांक 274 /12–1 अल्मोड़ा, दिनांक, 23/07/.2021.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :– जनपद– बागेश्वर अन्तर्गत काण्डा मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग प्रस्ताव सं0 35046/2018।

संदर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 119/FP/UK/ROAD/35046/2018 दिनांक 12.07.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग से सम्बन्धित अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 1 से 05 तक वांछित सूचना ऑन लाईन के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पत्रांक 274 / 12-1(2) दिनांकित ।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 119 / FP/UK/ROAD/35046/2018 :देहरादूनःदिनांकः 12 जुलाई, 2021

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार,
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.413 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 30.07.2018 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रति दिनांक 05.06.2021 के द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रतियां प्राप्त हुई हैं। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के अवलोकन करने पश्चात निम्नप्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है।

1. प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची अंकित नहीं है, पृष्ठ संख्या के अनुसार प्रेषित करें। कृपया सही सूचना अंकित की जाय।
2. प्रस्ताव में भाग–1, भाग–2, एवं भाग–3 को तैयार कर तीन मूल प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित करें, ताकि सूचना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।
3. प्रस्ताव में संलग्न प्रप्रत्र संख्या 44 में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।
4. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2020–21 सी0ए0 की दरें लगायी गयी हैं, कृपया सी0ए0 की वर्तमान दर 2021–22 के अनुसार प्राक्लन प्रस्ताव में सलग्न करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 7 में एस0आई0आर0 में तिथि अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :– 119 / FP/UK/ROAD/35046/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री हिमांशु बागड़ी, प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि **प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

FP/UK/Road/35046/2018 **Date-09/07/2021**

1- Estimated cost mentioned in part I, A-1(vii), seems to be incorrect- Kindly review it.

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 0.5

2- Kindly mark the benefitted villages in the KML file-

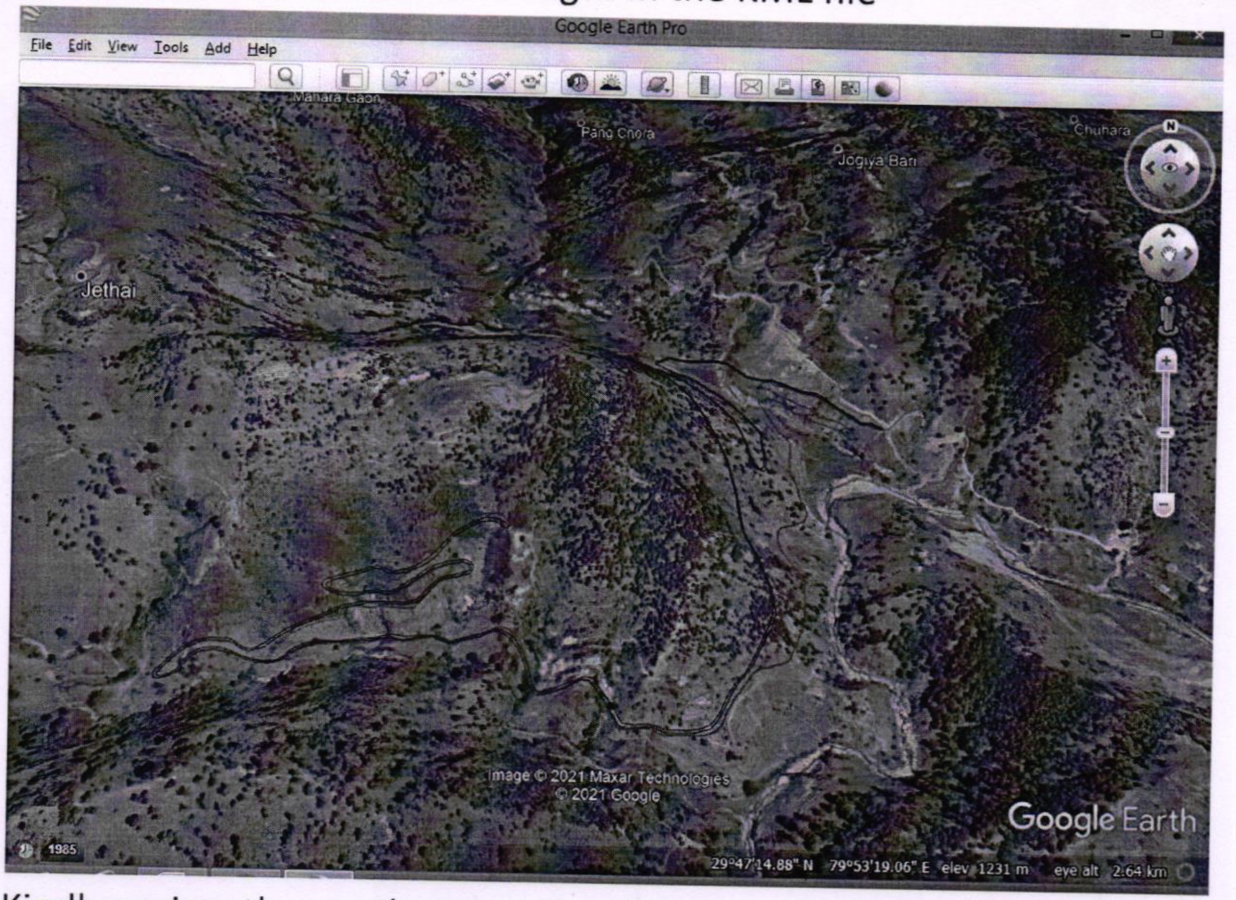

3- Kindly review the employment details-

Not secure | forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/35046/2018

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land:

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined:

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes
(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 0
(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 20

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i).Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

4- VLC proceeding of 'Jaithai' is attached with FRA, while the name of the village mentioned in the B2.3 Village wise break up is 'TIPOLA'. Kindly clarify.

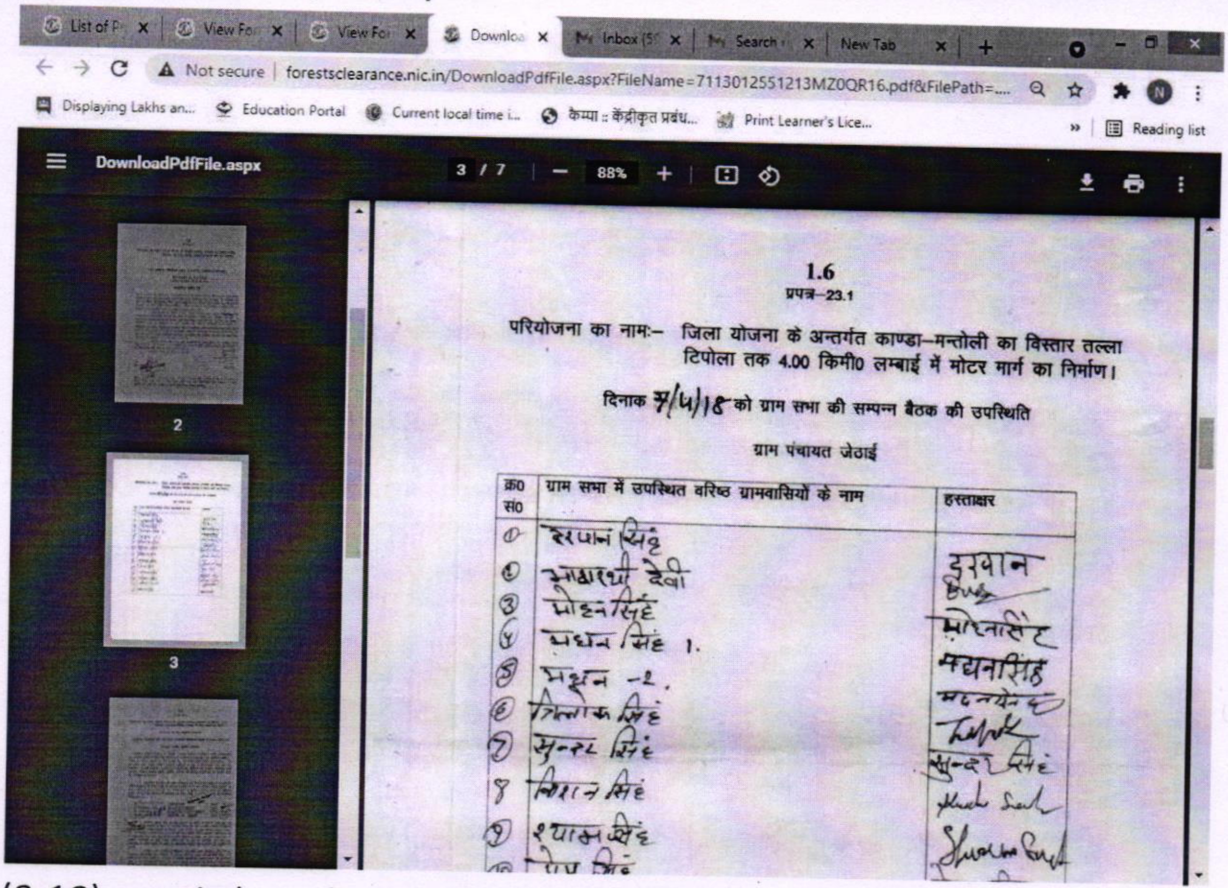

1.6

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला टिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक 7/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जेठाई

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर

5- (0-10) cm girth sapling detail not mentioned in the affected tree detail. Kindly clarify regarding the status of the same.

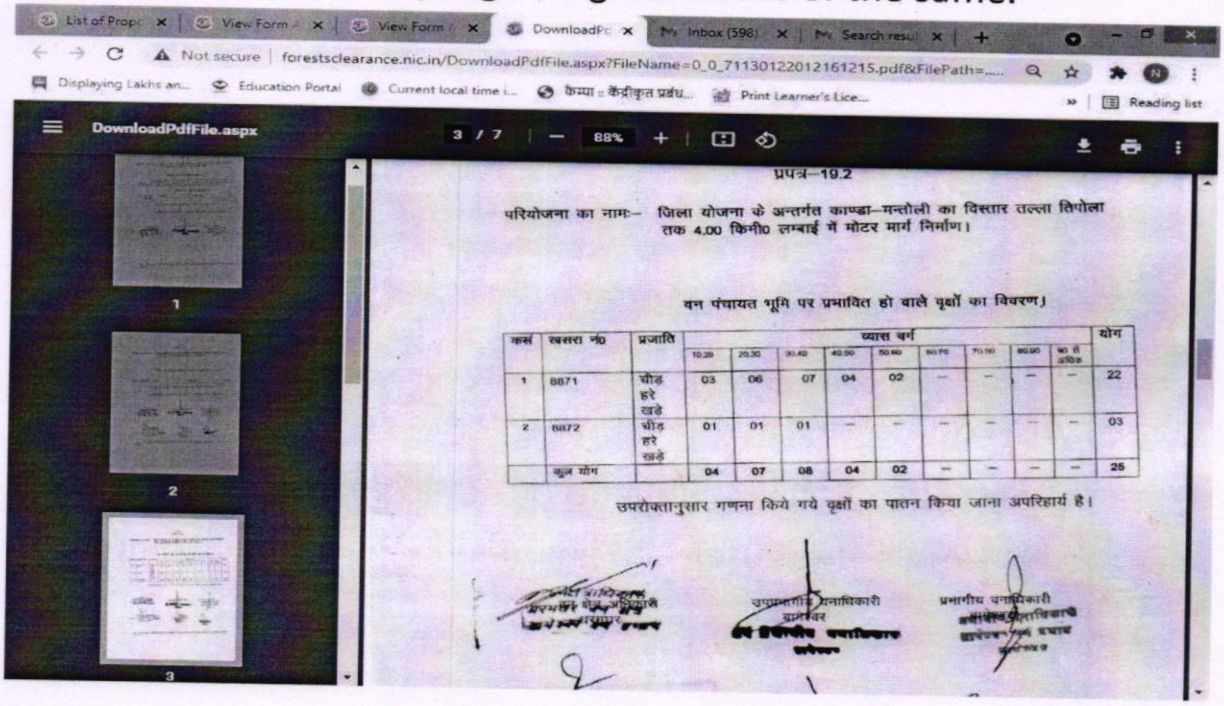

प्रपत्र–19.2

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा–मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित हो वाले वृक्षों का विवरण।

क्रस	खसरा नं0	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	8871	चीड़ हरे खड़े	03	06	07	04	02	–	–	–	–	22
2	8872	चीड़ हरे खड़े	01	01	01	–	–	–	–	–	–	03
	कुल योग		04	07	08	04	02	–	–	–	–	25

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

6- Name of the nearest protected area not mentioned in the aerial distance certificate.

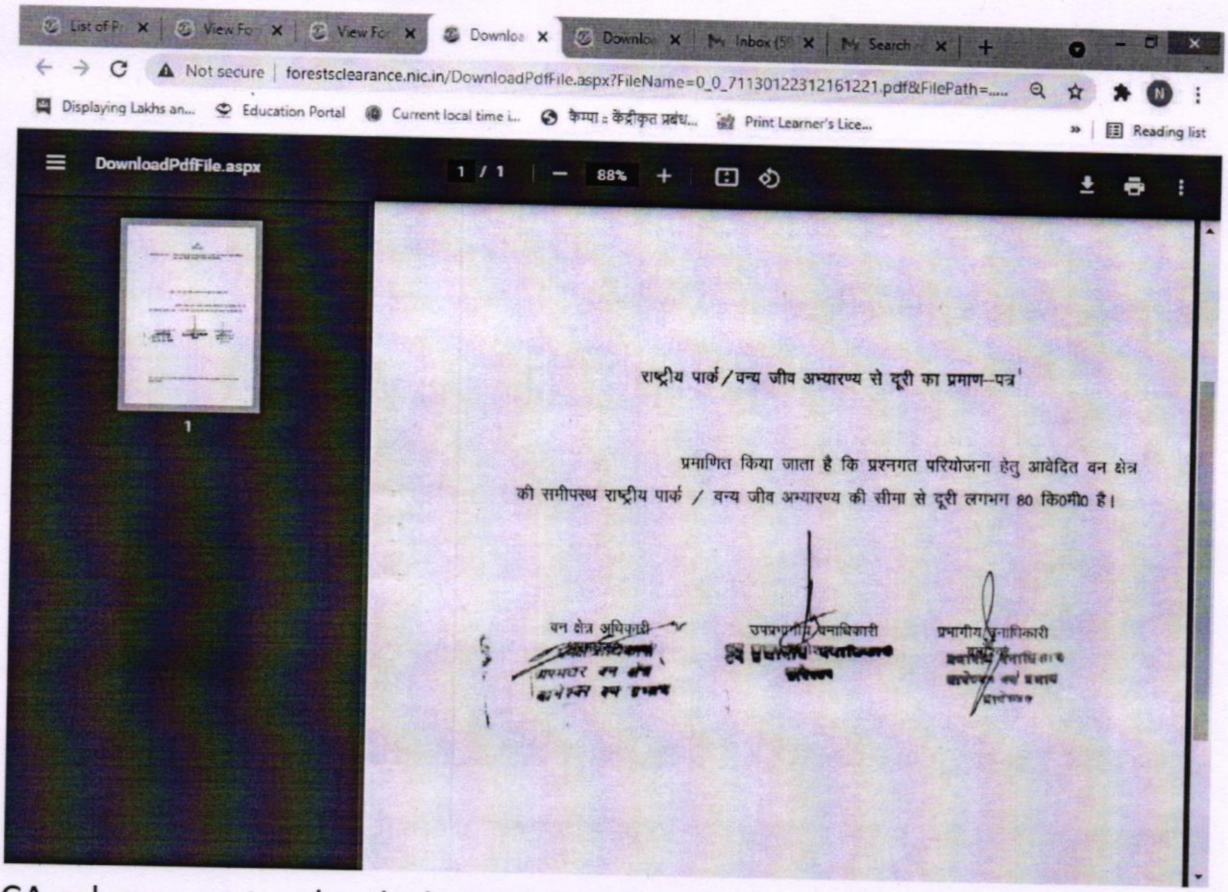

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी लगभग 80 कि0मी0 है।

वन क्षेत्र अधिकारी	उपप्रभागीय वनाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी

7- CA scheme not uploaded at relevant place in Part II

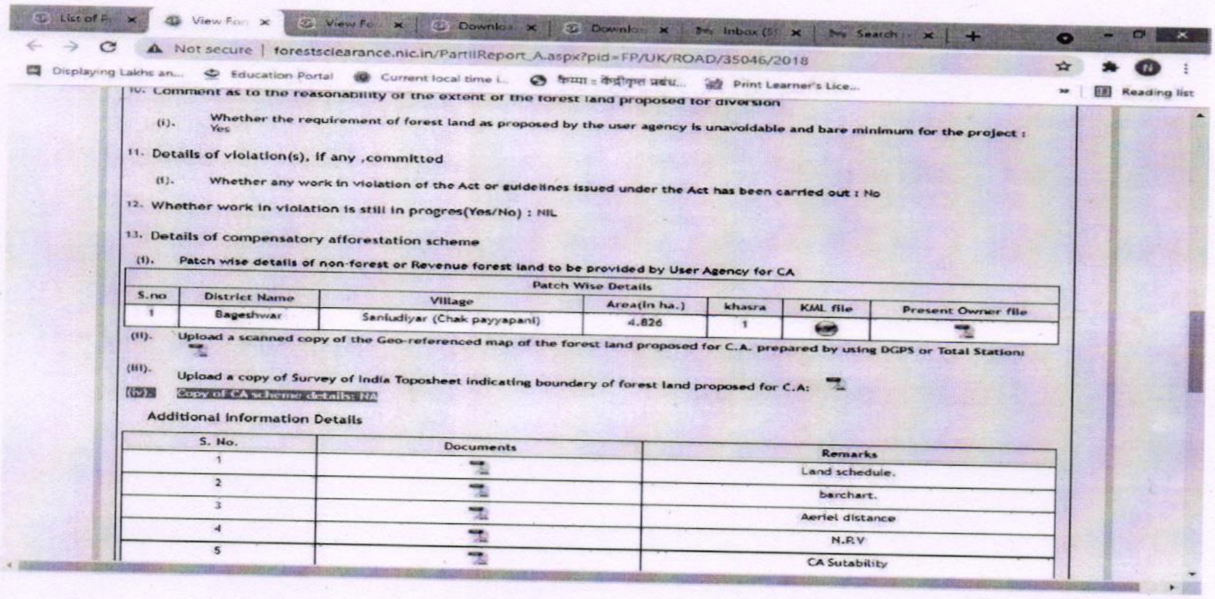

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL

13. Details of compensatory afforestation scheme

(i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Bageshwar	Saniudiyar (Chak payyapani)	4.826	1		

(ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station:

(iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A:

(iv). Copy of CA scheme details: NA

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		Land schedule.
2		barchart.
3		Aeriel distance
4		N.R.V
5		CA Sutability

8- CF recommendation (part III) not found uploaded, blank page is uploaded. Kindly upload the same.

............NODAL OFFICE..............